U.P. STATE ENTRANCE EXAMINATION

Dr A.P.J. Abdul Kalam Technical University Uttar Pradesh

(Formerly U.P. Technical University, Lucknow)

IET Campus, Sitapur Road, Lucknow

INFORMATION BROCHURE
UPSEE – 2017

[ENGLISH VERSION]

For Admission to

First Year of B. Tech /B.Arch./B.Pharm./ BHMCT/BFAD/BFA/ MBA/MCA
And
2nd Year of B. Tech./B.Pharm./MCA (Lateral Entry)

Opening Date for filling of On-Line Application:

January 18, 2017 (11:00 AM)

Last Date for Submission of Application:

February 28, 2017 (05:00 PM)

Date of Examinations:

April 16, 2017 (Sunday)

and

April 22, 2017 (Saturday) & April 23, 2017 (Sunday)

Website

http://www.upsee.nic.in

Help Desk

Toll free Number : 1800-180-0161

E-Mail : helpdeskupsee17@gmail.com

Contact Address:

Registrar

Dr A.P.J. Abdul Kalam Technical University Uttar Pradesh

IET Campus, Sitapur Road, Lucknow – 226 021 (U.P)

Phone: 0522 – 2732193, Fax: 0522 – 2732185

E-Mail: registrar@aktu.ac.in

Website: **https://aktu.ac.in**

9. RESERVATION OF SEATS

9.1. Vertical Reservation (Category):

Category	Percentage of Reservation
(a) Scheduled Caste of U.P.	21%
(b) Scheduled Tribe of U.P.	02%
(c) Other Backward Classes of U.P.	27%

9.2. Horizontal Reservation (Sub-category available in each category):

Sub-Category	Code	Maximum Percentage of Total Seats
(a) Dependents of Freedom Fighters from U.P.	UPFF	02%
(b) Sons / Daughters of defence personnel of U.P. either retired (superannuated) or killed / disabled in action or defence personnel posted in U.P./defence personnel domicile of U.P. & posted outside U.P.	UPAF	05%
(c) Handicapped / Disabled of U.P.	UPHC	03%
(d) Girls of U.P.	UPGL	20%

9.3. The candidates can be given **only one** type of horizontal reservation out of UPFF/UPAF/UPHC. **However, the girl candidates can also claim for any one of UPFF/UPAF/UPHC alongwith UPGL.**

9.4. Subsequent request for the change of category / sub-category filled in Application Form **shall not** be entertained under any circumstances.

9.5. Category / sub-category must be supported by the relevant certificates as per proforma given in the Appendix-D to be produced at the time of counselling, failing which the candidates shall be treated in General Category.

9.6. The advantage of horizontal reservation in Armed force sub-category is available to sons/daughters of 'defence personnel of U.P. either retired (Superannuated) or killed / disabled in action and the dependents settled in U.P.' , and 'the defence personnel posted in U.P.' on the date of Entrance Examination.

9.7. Certificate no. 4, 5 and 6 are required at the time of counseling, for claiming reservations in subcategories mentioned at clause 9.2 (a), (b) and (c) respectively.

9.8. The seats available under Fee Waiver scheme will be notified in respective cateory at the time of counselling.

9.9. Please note that benefits of UPGL subcategory will automatically be given to all the Female candidates.

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

प्रवेश नियम

शैक्षिक–सत्र 2017–18

सम्बद्ध महाविद्यालयों
एवं
स्ववित्त पोषित संस्थानों हेतु
प्रवेश नियमावली

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,मेरठ

सत्र–2017–2018
महाविद्यालयों/स्ववित्त पोषित संस्थानों के लिए

प्रवेश नियम

1. विश्वविद्यालय द्वारा नियत निर्देशानुसार महाविद्यालयों/स्ववित्तपोषित संस्थानों में प्रवेश और शिक्षण कार्य में प्रक्रिया का पालन किया जायेगा।

(क) प्रथमतः महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा किये गये सभी प्रवेश विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.ccsuweb.in पर ऑनलाईन सम्पुष्ट होने आवश्यक होंगे। महाविद्यालय अपने स्तर पर समस्त प्रवेशित अभ्यर्थियों के पत्रजात, उचित अधिकारी द्वारा सत्यापित करायेगें। सत्यापित प्रवेश ही मान्य होंगे। विद्यार्थी द्वारा भरा गया विवरण सत्यापित न होने की दशा में विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

(ख) प्रवेश, अर्हता परीक्षा में कुल प्राप्तांक प्रतिशत तथा अन्य निर्धारित मानकों के आधार पर तैयार की गई ऑनलाइन योग्यताक्रम सूची के अनुसार अभिलेखों की उचित जाँच पड़ताल कर महाविद्यालयों द्वारा किये जायेंगे। प्रवेशार्थ मान्य कुल स्थानों में से 21 प्रतिशत, 02 प्रतिशत और 27 प्रतिशत स्थान महाविद्यालयों में और इसी प्रकार छात्रावासों में क्रमशः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के नियमानुसार आरक्षित होंगे। शारीरिक रुप से 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग, दृष्टिविहीन/कम दृष्टि (एक प्रतिशत), श्रवण ह्रास/पालन निशक्तता (एक प्रतिशत), अंग–भंग, 1 प्रतिशत) हेतु (कुल 3 प्रतिशत) स्वतन्त्रता सेनानियों के आश्रित 2 प्रतिशत और पूर्व–सेना कर्मियों या उनके आश्रितों को 1 प्रतिशत स्थानों पर सम्बन्धित श्रेणियों में आरक्षण उचित प्रमाण पत्रों के आधार पर प्रदान किया जायेगा। यदि अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थी प्रवेश के लिये उपलब्ध नहीं हैं तोउनके स्थान पर अनुसूचित जाति के अर्ह अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जायेगा। छात्राओं को क्षैतिज आधार पर 20 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया जायेगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पत्र दिनांक 04–06–2014 के शासनादेश संख्या 3-1/2012NER dated 7th March, 2013 के अनुसार कश्मीरी विद्यार्थियों के लिए सत्र 2016–17 में प्रवेश के समय प्रति पाठ्यक्रम 2 सीट वृद्धि की जा सकती है। व्यवसायिक/तकनीकी शिक्षण संस्थानों में योग्यता सूची में कम से कम एक सीट पर आरक्षण मान्य होगा।

(ग) अल्पसंख्यक श्रेणी के महाविद्यालयों द्वारा वर्ग विशेष के अभ्यर्थियों का पंजीकरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए जिससे अल्पसंख्यक आयोग द्वारा प्रदत्त लाभ वर्ग विशेष के अभ्यर्थियों को मिल सके। 50 प्रतिशत तक अल्पसंख्यक श्रेणी के अभ्यर्थी ऑनलाइन योग्यतानुक्रमानुसार चयनित कर प्राथमिकता के आधार पर प्रविष्ट किये जा सकते हैं किन्तु शेष 50 प्रतिशत तक मिश्रित अभ्यर्थियों को योग्यताक्रमानुसार प्रवेश दिया जा सकता है। प्रवेश की सम्पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन ही पूर्ण की जायेगी। यदि चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय से सम्बद्ध अल्पसंख्यक वर्ग के महाविद्यालय चाहें तो पूर्व सूचना देकर समस्त सम्बद्ध अल्पसंख्यक महाविद्यालयों के लिए एक पोर्टल पर उक्त प्रवेश कर उसका लिंक (link) प्रवेश पोर्टल www.ccsuweb.in के साथ जोड़ सकते हैं। समस्त प्रविष्ट छात्रों की सम्पुष्टि रिपोर्ट संदर्भ हेतु महाविद्यालयों को संरक्षित करनी होगी।

विषय संयोजन आवंटित करने में महाविद्यालयों को सीट उपलब्धता, सेक्शन की सीमितता, शिक्षक की उपलब्धता, छात्र की अर्हता का संज्ञान लेकर ही ऑनलाइन सम्पुष्ट करने होंगे। त्रुटियाँ 2 कार्य दिवस के पश्चात् सूचित करने पर संशोधित नहीं की जायेंगी। विषय संयोजन में सम्पुष्टि के पश्चात् परिवर्तन भी मान्य नहीं होगा।

आरक्षित स्थान हेतु, पंजीकृत अर्ह अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने के कारण स्थान रिक्त रह जाने पर, प्रवेश के लिए अनारक्षित श्रेणी के अर्ह अभ्यर्थियों से द्वितीय ओपन मैरिट में भरे जा सकते हैं।

अनुसूचित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए छात्रावास में आवास, प्रवेश की अन्तिम तिथि तक आरक्षितरखे जायेंगे।

नोटः– यदि प्रमाण पत्र उचित अधिकारी द्वारा प्रदत्त नहीं होंगे तो उस छात्र का अभ्यर्थन सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी की भाँति माना जायेगा। पंजीकरण के समय उचित आरक्षण न मांगने वाले अभ्यर्थी को बाद में वांछित आरक्षण प्रदान नहीं किया जायेगा।

उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थी को, जिसने प्रवेश आवश्यक योग्यता परीक्षा उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर से उत्तीर्ण की है, किन्तु उत्तर प्रदेश के निवासी के रूप में प्रवेश का इच्छुक है, सक्षम अधिकारियों द्वारा उत्तर प्रदेश का मूल निवासी प्रमाणपत्र एवं आरक्षण प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, अन्यथा वह अन्य प्रदेश की श्रेणी में माना जाएगा।

(घ)(i) अन्य प्रदेश के अभ्यर्थियों के प्रवेश अधिकतम 10 प्रतिशत तक की सीमा तक होंगे, प्रतिबन्ध यह होगा कि अर्हता परीक्षा में उनकी योग्यता उत्तर प्रदेश के सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों से कम न हो। यदि कोई अभ्यर्थी जो कि दूसरे राज्य का निवासी है, उत्तर प्रदेश के किसी महाविद्यालय/संस्थान से अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करने पर भी दूसरे राज्य की श्रेणी में ही रखा जायेगा।

(ii) प्रवेश सत्र 2015–16 से ट्रान्सजेन्डर के लिए भी होगा। किन्तु ट्रान्सजेन्डर के लिए कोई आरक्षण न होने के कारण पुरूष श्रेणी में ही मेरिट लिस्ट में माना जायेगा।

(ङ) (i) किसी भी सरकारी कर्मचारी एवं सार्वजनिक सेवा वाले कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री का प्रवेश, उनके माता–पिता के स्थानान्तरण के कारण सम्बन्धित महाविद्यालय में स्थान होने पर कुलपति या उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी की पूर्व अनुमति से स्वीकार्य होगा। ऐसे स्थानान्तरण केवल प्रवेश की अन्तिम तिथि से एक माह के अन्तर्गत तक ही स्वीकार्य होंगे। परीक्षा फार्म भरने के बाद स्थानान्तरण स्वीकार नहीं होगा। किसी भी स्तर पर प्रवेश प्रक्रिया विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अवधि में समाप्त करनी होगी।

(ii) इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध एक महाविद्यालय/संस्थान से दूसरे महाविद्यालय/ संस्थान में स्थानान्तरण हेतु पूर्व महाविद्यालयों/संस्थानों के प्राचार्यों/निदेशकों के अनापत्ति पर द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ वर्ष में सीट उपलब्ध होनेपर दूसरे (जिस महाविद्यालय/संस्थान में स्थानान्तरण चाहता है) महाविद्यालय/संस्थान के प्राचार्य/निदेशक के द्वारा विवेकानुसार प्रवेश स्थानान्तरण स्वीकृत किया जा सकेगा। यह सुविधा एक ही शहर के मध्य स्थित महाविद्यालयों/संस्थानों के छात्रों को अनुमन्य नहीं होगी।

(iii) किसी भी दशा में विद्यार्थियों का प्रथम वर्ष मेंस्थानान्तरण अनुमन्य नहीं होगा।

(iv) अन्य विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान में स्थानान्तरण प्रवेश हेतु महाविद्यालय के प्राचार्य से अनापत्ति लेकर महाविद्यालय से सम्बन्धित समस्त विषयों की आख्या सहित विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराकर विश्वविद्यालय से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।